न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 375 सन् 2016
पंजीयन दिनांक 22.09.2016

देवीलाल पिता चतरभुज जाति गुर्जर निवासी झरझनी तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरूद्व

1. मांगीबाई पत्नि रामदयाल जाति गुर्जर निवासी बोरदी तहसील रामगंज मण्डी जिला कोटा
2. कनीराम पिता देवा जाति गुर्जर निवासी झरझनी तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़
3. भुवाना पिता कनीराम जाति गुर्जर निवासी झरझनी तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़
4. मोहन पिता शंकर जाति गुर्जर निवासी झरझनी तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़
5. विष्णुराम पिता किशनलाल जाति गुर्जर निवासी झरझनी तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़
6. रामकंवरी बाई पत्नि किशनलाल जाति गुर्जर निवासी झरझनी तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
बमिसल क्रमांक 1/2016 प्राथमिक निर्णय एंव डिक्री दिनांक 04.06.2016

उपस्थित– 1. खुमराज कुमावत –अधिवक्ता अपीलान्ट
2. रेस्पोडेन्टगण–1 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं.

निर्णय **दिनांक 11.02.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा झरझनी तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ की खाता सं.18 मे दर्ज आराजी नम्बर 117/75 रकबा 0.52 हैक्टयेर व खाता सं. 147 मे दर्ज आराजी नम्बर 258, 260 387 कुल किता 3 कुल रकबा 0.79 हैक्टयेर व खाता सं. 28 मे दर्ज आराजी नम्बर

314, 315, 316 317, 318, 319, 320, 363, 364, 365, 369 कुल किता 11 रकबा 4.69 हैक्टेयर के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया कि उपरोक्त आराजीयात मे रेस्पो0 वादिया का हक व हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। वादिया के पिता चतुरर्भुज की मृत्यु के उपरान्त आपसी सहमति से बंटवाडा कर दिया। व रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया अपने हिस्से की आराजीयात पर काबिज होकर काश्त कर रही है। रेस्पोडेन्ट सं.1 वादिया के जानकारी मे आया कि उक्त आराजीयात का हिस्सा बैंक रहन दर्ज है। जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने अपने हिस्से को कभी भी रहन नही रखा। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया अपने हिस्से की आराजीयात पर काश्त करने जाती है तो अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्टगण वादिया के साथ गाली गलौच व मारपीट करने पर उतारू रहते है। रेस्पाडेन्ट सं. 1 वादिया के हिस्से की आराजीयात पर कब्जा करने को अग्रसर रहते है। उसको जब भी रेस्पाडेन्ट सं. 1 वादिया ने अपने हिस्से की आराजीयात पर काश्त करने से मना किया तो नही मानते है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया को धमकियां देते है। जिससे सम्पूर्ण आराजीयात का बंटवा कराया जावे। व अपीलान्ट प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द कराया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र विचारण न्यायालय मे दिनांक 22.12.2015 को प्रस्तुत किया गया जो अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.01.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट प्रतिवादी के सम्मन नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट प्रतिवादी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। जवाब हेतु अवसर चाहा। पत्रावली जवाब हेतु दिनांक 04.6.2016 को नियत थी। बिना सूचना पत्र जारी किये पत्रावली दिनांक 04.06.2016 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट बडोदिया मे नियत की जाकर कैम्प कोर्ट बडोदिया मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया का वादपत्र बिना साक्ष्य सबुत व बिना किसी राजीनामे के प्रमाणित होना मानते हुए वादपत्र मे प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दी।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की। इस न्यायालय मे अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से अपील प्रस्तुत होने पर दिनांक 22.09.2016 को अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 7 की ओर से राजकीय अभिभाषक पस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादी अपीलान्ट नियत थी। अपीलान्ट प्रतिवादी का जवाबदावा बन्द किये बगैर उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बडोदिया मे नियत कर दी गई। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने बिना किसी राजीनामे के गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट प्रतिवादी के विरूद्ध प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दी । अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध व लोक अदालत की मंशा के विपरीत होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अपनी बहस के

समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त आर0एल0डब्ल्यु0 2008 पार्ट–2 पेज 975 का अवलोकन करा यह निवेदन किया कि लोक अदालत विशुद्ध रूप से सुलह व पंचाट से सम्बन्धित है। पक्षकारान के मध्य सुलह या राजीनामा नही होता है तो लोक अदालत को प्रकरण का निर्णय नही कर उस न्यायालय को पत्रावली प्रेषित कर दी जानी चाहिये जिस न्यायालय से पत्रावली प्राप्त हुई। उक्त न्यायिक दृष्टान्त के विपरीत अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिपूर्ण होना बताते हुए अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओ की विधिपूर्ण बहस का अधोपात अवलोकन व मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अधोपात अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं.0 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा हेतु अवसर चाह रहे थे। व जवाबदावा हेतु पत्रावली दिनांक 04. 06.2016 नियत थी। दिनांक 04.06.2016 को पत्रावली लोक अदालत मे नियत की जाकर बिना जवाबदावे लिये बिना किसी राजीनामे के प्रकरण का बिना साक्ष्य व सबूत के गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया का वादपत्र प्राथमिक निर्णय व डिक्री किया गया। जो न्यायिक दृष्टान्त आर0एल0ब्ल्यु 2008 पार्ट–2 पेज 975 मे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की मंशा के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा प्रकरण संख्या 01/2016 प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 04.06.2016 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावा जवाबदावा के अनुसार तनकियात कायम की जाकर आदेश 20 नियम 5 जा0 दी0 की पालना करते हुए तनकीवार अजरसे नव निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटायी जावे।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ